झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/06–योजना–102/2023 – 336(S) दिनांक – 25/01/24

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **जमशेदपुर शहर अन्तर्गत "(A) Baridih Basti Mira Path Subhash Path, TOP Path, Naga Baba Mandir Path, Bagunnagar-Bugunhatu Puliya Path, Dinkar Path, Vidyapati Nagar, Gandhi Path, Mahabir Path, Gautam Path, Bari Path, Mandir Path, Khaa Path (Length-6.25 Km.), (B) Jemko Basti Mishra Bagan Road No. 1, 2, 3, 4 road, Lakshminagar Main Road to Football Ground-Bajrangi Bagaan-Hanumaan Mandir Road (upto main road) Manifit Lakri Taal Sukhi Colony to Manifit Company Main Road, Aazad Basti Shiv Mandir to Belgaddha Main Road (Length – 4.4 Km.) एवं (C) Golmuri Vijaynagar to Aakash Deep Plaza via Agrico Wall Road (Length – 1.5 Km.) (कुल लम्बाई–12.15 कि0मी0) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality)/ मजबूतीकरण कार्य" हेतु रू0 7,03,24,400/– (सात करोड़ तीन लाख चौबीस हजार चार सौ रू0) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 7,03,24,400/– (सात करोड़ तीन लाख चौबीस हजार चार सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तावित सभी पथ जमशेदपुर शहर की महत्वपूर्ण पथ है। सभी पथ का स्वामित्व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधीन है। पथों की स्थिति जर्जर है। कार्यहित में उक्त पथों के उन्नयन हेतु राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality)/मजबूतीकरण कार्य कराया जाएगा।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय /उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना /उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– 45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, जमशेदपुर से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2023–24	रू0 421.94640 लाख	60%
2024–25	रू0 281.29760 लाख	40%

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

25.1.24

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–102/2023 –336(S) दिनांक–25/01/24

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि संबंधित विभाग/प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं पूर्व के कार्य के Defect Liability Period के समाप्ति के उपरांत ही निविदा की कार्रवाई एवं निर्माण कार्य किया जाय।

5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

25.1.24

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–102/2023 –336(S) दिनांक–25/01/24

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/आयुक्त, कोल्हाण प्रमण्डल, चाईबासा/उपायुक्त, जमशेदपुर/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (1), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (2), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.1.24

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–102/2023 –336(S) दिनांक–25/01/24

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.1.24

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।